डाक तथा तार और टेलीफोन विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए कोटा

574. श्री मंगलदेव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार और टेलीफोन विभागों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की वर्गवार, प्रतिशतता क्या है; और

(ख) यदि विभिन्न सेवाओं में उनके लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) अपेक्षित सूचना जैसी कि 1-1-1976 को थी, संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है ।

(ख) सुरक्षित जगहें भरने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं । जब कर्मचारियों की कमी होती है, तो खाली जगहें सभी सम्बन्धित रोजगार दफ्तरों को जिनमें केन्द्रीय रोजगार दफ्तर भी शामिल है अधिसूचित की जाती है । स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के अलावा सुरक्षित समुदायों से भरी जाने वाली खाली जगहों की सूचना अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के मान्यता प्राप्त संघों और संगठनों को भी दे दी जाती है ताकि वे उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम भेज सकें ।

विवरण

विभाग की डाकतार और टेलीफोन शाखाओं में 1-1-76 को कुल कर्मचारियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या दिखाने वाला श्रेणीवार विवरण पत्र :—

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत	अनुसूचित जन-जाति कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
प्रथम श्रेणी (अब समूह 'क')	1,677	38	2,5%	12	0.7%
द्वितीय श्रेणी (अब समूह 'ख')	4,645	300	6.4%	18	0.4%
तृतीय श्रेणी (अब समूह 'ग')	3,40,194	46,080	13.6%	11,728	3.4%
चतुर्थ श्रेणी (अब समूह 'घ') स्वीपरों को छोड़कर	77,993	15,574	19.4%	4,010	5.4%
चतुर्थ श्रेणी (अब समूह 'घ') स्वीपर	2,828	2,424	87.7%	120	4.0%